

जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत 22 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री अनुराग आर्य के निर्देशन पर जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई, जिसका विवरण निम्नवत है:-

कोतवाली:-

मु.अ.सं. 427/22 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट

- 1- मोहम्मद सुफियान पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मकदुमपुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर
 - 2-जावेद खान पुत्र अहमद अली निवासी मदारपुर थाना सरपतहां जनपद जौनपुर
 - 3-अब्दुल रहमान पुत्र लियाकत अली निवासी पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर
 - 4-जावेद उर्फ मु. समीर पुत्र मोहम्मद सुभान उर्फ मोहम्मद सुबहान निवासी पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर
 - 5-असहद पुत्र महबुल्लाह निवासी सदरुद्दीन थाना बक्सा जनपद जौनपुर
 - 6- मतिउर्रहमान उर्फ शेख खान पुत्र अब्दुल मतीन निवासी धनिया मऊ थाना बक्सा जनपद जौनपुर।
 - 7- सोनू उर्फ फैसल पुत्र महाबुल्ला निवासी सदरुद्दीन रन्नौ थाना बक्सा जनपद जौनपुर।
 - 8-याहिया खाना उर्फ मंगल पुत्र इकबाल निवासी बखखोपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।
 - 9-महाबुल्ला पुत्र रिजूल निवासी सदरुद्दीन थाना बक्सा जनपद जौनपुर
 - 10- हाफिजुर्रहमान पुत्र अब्दुल मतीन निवासी धनिया मऊ थाना बक्सा जनपद जौनपुर
- इस गिरोह द्वारा मुर्गों से भरी हुई गाड़ी को रुकवाकर मुर्गा सहित (कीमत लगभग एक लाख पचास हजार), दो मोबाईल लूट लिया गया था।

सरायमीर:-

मु.अ.सं.:- 197/22 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट

- 1- उमर पुत्र शमशाद निवासी संजरपुर थाना सरायमीर।
 - 2-आफताब अहमद पुत्र स्वर्गीय शमसुद्दीन निवासी संजरपुर थाना सरायमीर।
 - 3- राजन राम पुत्र राजेंद्र निवासी महादेवा पारा थाना मेहनगर।
 - 4- अजय चौहान उर्फ पप्पू पुत्र रेखई चौहान निवासी गेलवारा थाना सिधारी।
 - 5- प्रदीप सैनी पुत्र दिनेश सैनी निवासी जाफरपुर थाना सिधारी।
 - 6- वीरेंद्र पासी पुत्र बैजनाथ निवासी गंजोर थाना मेंहनगर।
- उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर शराब कारोबारी से लूट करना, चोरी, मारपीट तथा पुलिस टीम पर फायरिंग करने जैसे अपराध शामिल है।

रानी की सराय:-

मु.अ.सं. 289/22 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट

- 1-अनीस पुत्र यासीन निवासी ग्राम भोगनवाला(फरीदपुर) थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।
एक अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जिसका एक संगठित गिरोह है तथा यह गिरोह का सरगना (गैंग लीडर) है तथा इसके गैंग के सक्रिय सदस्य:-
 2. मो0 जीशान पुत्र मो0 हनीफ निवासी ग्राम हरिसिंह का भोगला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
 3. नफीस पुत्र यामीन निवासी ग्राम शादीपुर डल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
 4. जीशान पुत्र नसीम निवासी ग्राम पाडला थाना कीरतपुर जनपद बिजनौर
 5. नाजिम पुत्र यामीन निवासी ग्राम पाडला थाना कीरतपुर जनपद बिजनौर
 6. यामीन पुत्र स्व0 नजीर अहमद निवासी ग्राम पाडला थाना कीरतपुर जनपद बिजनौर है।
- इस गैंग द्वारा मारपीट चोरी नकबजनी लूट जैसे अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।

वाहन चेकिंग अभियान

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री अनुराग आर्य के निर्देशानुसार दिनांक 07.09.2022 की रात्रि में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों से सम्बन्धित चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें 93 स्थानों पर चेकिंग की गई।

- ➡ जिसमें 636 दो पहिया, 469 चार पहिया वाहन, 339 भारी वाहन चेक किए गए।
- ➡ चेकिंग अभियान के दौरान 14 संदिग्ध लोगो को हिरासत में लिया गया।
- ➡ 08 वाहन के विरुद्ध MV एक्ट की कार्यवाही की गई।
- ➡ 08 ट्रकों का ई चालान किया गया।
- ➡ 17 मोटरसाइकिलों का ई चालान किया गया।
- ➡ 02 मोटरसाइकिल सीज की गई।